

फर्द अहकाम
(नियम 26)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण

अप्रार्थी

- 1 सुख कुंवर पत्नि मोहब्बतसिंह
- 2 नरेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह
जातियान राजपूत नि. सिलोईया
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1.स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा0पत्र अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 41/2024

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील न जारी हुये
26-07-2024	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी श्री जितेन्द्रसिंह देवडा व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/466 दिनांक 11-07-2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई । प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई । हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली/दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा वराल के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 136 में प्रार्थीगण का अशुद्ध/गलत नाम सुआकुंवर पत्नि मोहब्बतसिंह व माधोसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम सुखकुंवर पत्नि मोहब्बतसिंह व नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें ।</p> <p>निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	



लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
(उपलण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)